


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/41

भोपाल, दिनांक 19.01.2017

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/409 दिनांक 12.09.2016 के सरल क्रमांक 34 पर उल्लेखित श्रीमती संगीता परमार,ए.एन.एम.जिला-बड़वानी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार के अधीन स्वयं के व्यय पर किया गया स्थानांतरण श्रीमती परमार के परिवीक्षा अवधि में कार्यरत होने के कारण निरस्त किया जाता है।



संचालक(परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/42

भोपाल, दिनांक 19.01.2017

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल।
4. अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला-बड़वानी मध्यप्रदेश की ओर उनके पत्र क्रं./स्थापना/2016/13568 दिनांक 27.09.2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला कोषालय अधिकारी जिला-बड़वानी एवं धार मध्यप्रदेश
9. संबंधित कर्मचारी।
10. आदेश नस्ती


संचालक(परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

नि.सं. / स्वा.आ.नु.सं. / 2512
दिनांक 31/12/16

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 22/12/2016

क्रमांक / 4185 / 4998 / 2016 / 17 / मेडि-1 :: प्रशासकीय कार्य सुविधा दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानान्तरण करते हुये कॉलम क्रमांक 4 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरित पदस्थापना स्थल
1.	2.	3.	4.
1.	श्रीमती सरोज बैगा, ए.एन.एम.	जिला अस्पताल श्योपुर	जिला अस्पताल उमरिया
2.	श्री अशोक कुमार गौतम, एन.एम.ए.	सामु.स्वा.के. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरैना के अधीन
3.	श्रीमती गीता देवी, ए.एन.एम.	स्वा.के. शाहपुरा जिला डिण्डोरी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरैना के अधीन
4.	शुश्री अरुणा श्याम, ए.एन.एम.	उप स्वा.के. तरदेही तेंदूखेड़ा जिला दमोह	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जबलपुर के अधीन
5.	श्री रामनिवास सिंह गुर्जर, एम.पी.डब्ल्यू.	उप स्वा.के. मेहरवानी जिला श्योपुर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरैना के अधीन
6.	शुश्री रुकमणि अहिरवार, ए.एन.एम.	स्वा.के. कुरवाई जिला विदिशा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टीकमगढ़ के अधीन
7.	श्रीमती माधुरी शर्मा, ए.एन.एम.	उप स्वा.के. राडेप सी.एच.सी. बड़ौदा जिला श्योपुर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड के अधीन
8.	श्रीमती भारती निगमाल, ए.एन.एम.	उप स्वा.के. बरजोरपुर जिला बैतूल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खरगौन के अधीन
	श्री प्रदीप कुमार सोनी, वरिष्ठ एन.एम. एम.	कार्यालय सी.एम.एच.ओ. सीहोर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भोपाल के अधीन
10.	श्री शक्ति मेडे, डी. पी.एच.एन.ओ.	जिला इन्दौर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बैतूल के अधीन
11.	श्रीमती गजू शर्मा, एल.एच.वी.	सामु.स्वा.के. औबेदुल्लागंज, जिला भोपाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भोपाल के अधीन

उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पदस्थापना स्थल पर 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण किया जावे।

A-Dix (No) Web site 40
31/12/16
उपरोक्त पाण्डेय
अपर संचालक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(उपेन्द्र नाथ शर्मा)
उप. सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्र. / 4186 / 4998 / 2016 / 17 / नेडि-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 21 / 12 / 2016

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 - ✓ 3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
 4. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
 5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 6. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
 7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 8. संबंधित म.प्र.।
 9. आदेश नस्ति।
- की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सूचनार्थ)

21/12/16

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 1917

भोपाल, दिनांक 21.12.2016

आदेश

श्रीमती सरोज बैगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), उप स्वास्थ्य केन्द्र आमेठ, जिला-श्यापुर को समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया के अधीन स्थानांतरित किया जाता है।

आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित


21.12.2016

उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 1918

भोपाल, दिनांक 21.12.2016

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्रीजी, कार्यालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सहायक, आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग ग्वालियर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।

कृ.पृ.उ.

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-श्यापुर, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी संविदा/परीविक्षा अवधि में अथवा निलंबित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जायें तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश नियमानुसार निरस्त किये जा सकें। स्थानांतरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह भी अवगत कराया जावें, कि जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारी की वरिष्ठता स्थानांतरित जिले में जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- उमरिया, मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी, श्यापुर एवं उमरिया, मध्यप्रदेश।
10. श्रीमती सरोज बैगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) उप स्वास्थ्य केन्द्र आमेठ, जिला-श्यापुर की ओर भेजकर लिखा जाता है, कि उनकी वरिष्ठता जिला-उमरिया में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी।
11. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय, वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश नस्ती।

BA
21.12.2016

उप संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 415

भोपाल, दिनांक 12.09.2016

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को कॉलम नंबर 04 की वर्तमान पदस्थापना जिले से कॉलम नंबर 05 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्री विनोद कुमार बावने	सुपरवाईजर	होशंगाबाद	बैतूल
2.	श्री विनोद कुमार अहिरवार	एम.पी.डब्ल्यू.	होशंगाबाद	भोपाल


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 416


भोपाल, दिनांक 12.09.2016

प्रतिलिपि:—

- विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
- निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
- प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश।

निरंतर.....2

8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला- होशंगाबाद, बैतूल एवं भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी निलंबित अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। स्थानांतरित कर्मचारियों को 07 दिवस में कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- होशंगाबाद, बैतूल एवं भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
11. संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।
12. आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश


क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 413

भोपाल, दिनांक 12.09.2016

आदेश

निम्नलिखित खंड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) को कॉलम नंबर 04 की वर्तमान पदस्थापना जिले से कॉलम नंबर 05 में दर्शाये गये विकासखंड में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।


क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्री गोवर्धन पारसनिया	बी.ई.ई.	विकासखंड उज्जैन, जिला-उज्जैन	विकासखंड टोंकखुर्द, जिला-देवास
2.	श्रीमती प्रेमलता साहू	बी.ई.ई.	विकासखंड लटेरी, जिला-विदिशा	विकासखंड खिलचीपुर, जिला-राजगढ़


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 414 भोपाल, दिनांक 12.09.2016

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
- निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
- प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग उज्जैन एवं भोपाल, मध्यप्रदेश।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-उज्जैन, देवास, विदिशा, एवं राजगढ़, मध्यप्रदेश।
- जिला कोषालय अधिकारी, जिला-उज्जैन, देवास, विदिशा, एवं राजगढ़, मध्यप्रदेश।
- प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
- संबंधित खंड विस्तार प्रशिक्षक (बी.ई.ई.) की ओर पालनार्थ।
- आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**


क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 411

भोपाल, दिनांक 12.09.2016

आदेश

निम्नलिखित उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारियों को कॉलम नंबर 03 की वर्तमान पदस्थापना जिले से कॉलम नंबर 04 में दर्शाये गये जिले में समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री खेर सिंह उद्दे	कार्यालय. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दतिया	कार्यालय. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-डिण्डौरी
2.	श्रीमती उषा किरण सक्सेना	कार्यालय. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-आगर-मालवा	कार्यालय, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला-उज्जैन
3.	सुश्री मीना सोनी	कार्यालय, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला-सतना	कार्यालय, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला-रीवा


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 412

भोपाल, दिनांक 12.09.2016


प्रतिलिपि:—

1. विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।

निरंतर.....2

// 2 //

7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, संभाग, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-दतिया, डिण्डौरी, आगर-मालवा, उज्जैन, सतना, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-उज्जैन, सतना, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-दतिया, डिण्डौरी, आगर-मालवा, उज्जैन, सतना, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
12. संबंधित उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी की ओर पालनार्थ।
13. आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 409

भोपाल, दिनांक 12.09.2016

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को कॉलम नंबर 04 की वर्तमान पदस्थापना जिले से कॉलम नंबर 05 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।


क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती शारदा ओझा	ए.एन.एम.	अशोकनगर	गुना
2.	श्रीमती सरिता परिहार	ए.एन.एम.	कटनी	नरसिंहपुर
3.	श्रीमती आमना बी. खान	ए.एन.एम.	छिन्दवाड़ा	नरसिंहपुर
4.	श्रीमती सीमा मांगरिया	ए.एन.एम.	रतलाम	नीमच
5.	श्रीमती संतोष वैरागी	ए.एन.एम.	रतलाम	नीमच
6.	श्रीमती मोनिका कलम	ए.एन.एम.	धार	देवास
7.	श्रीमती कुसुम शुक्ला	ए.एन.एम.	राजगढ़	छतरपुर
8.	श्रीमती हेमन्त बाडीबा चौधरी	ए.एन.एम.	अनूपपुर	सतना
9.	श्रीमती अर्चना केरकेट्टा	ए.एन.एम.	विदिशा	सीहोर
11.	श्रीमती सुशीला सौराष्ट्रीय	ए.एन.एम.	आगर-मालवा	राजगढ़
11.	श्रीमती सपना साहू	ए.एन.एम.	शाजापुर	राजगढ़
12.	श्रीमती आशा पालीवाल	ए.एन.एम.	आगर-मालवा	राजगढ़
13.	श्रीमती प्रेमलता मालवीय	ए.एन.एम.	बैतूल	भोपाल
14.	श्रीमती अनीता रैकवार	ए.एन.एम.	रायसेन	भोपाल
15.	श्रीमती सुमित्रा भगत	ए.एन.एम.	होशंगाबाद	भोपाल
16.	श्रीमती डॉली स्मिथ	ए.एन.एम.	सीहोर	भोपाल
17.	मोनिका सुरेश्वर	ए.एन.एम.	शहडोल	डिण्डौरी
18.	कुमारी संगीता उईके	ए.एन.एम.	बड़वानी	डिण्डौरी
19.	श्रीमती माया राणा	ए.एन.एम.	कटनी	सिवनी
20.	श्रीमती सुनीता धनोलिया	ए.एन.एम.	राजगढ़	शिवपुरी
21.	श्रीमती आरती शर्मा	ए.एन.एम.	कटनी	मुरैना
22.	श्रीमती अर्चना शर्मा	ए.एन.एम.	राजगढ़	मुरैना
23.	श्रीमती गीता शर्मा	ए.एन.एम.	श्यापुर	मुरैना
24.	श्रीमती रामप्यारी उईके	ए.एन.एम.	छिन्दवाड़ा	मंडला
25.	श्रीमती विमला श्याम	ए.एन.एम.	खण्डवा	मंडला

12/9/16

निरंतर.....2

//2//

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4	5
26.	श्रीमती सुलेखा कुशरे	ए.एन.एम.	कटनी	मंडला
27.	श्रीमती वेदवती मरावी	ए.एन.एम.	बुरहानपुर	मंडला
28.	कुमारी अनुसुईया धुर्वे	ए.एन.एम.	छिन्दवाड़ा	बालाघाट
29.	श्रीमती निर्मला सापकर	ए.एन.एम.	उज्जैन	इन्दौर
30.	श्रीमती रजनी यादव	ए.एन.एम.	शाजापुर	इन्दौर
31.	श्रीमती शकुन्तला घोघरे	ए.एन.एम.	धार	इन्दौर
32.	श्रीमती रेशम चौहान	ए.एन.एम.	बड़वानी	खरगौन
33.	श्रीमती नमिता चौहान	ए.एन.एम.	उज्जैन	खण्डवा
34.	श्रीमती संगीता परमार	ए.एन.एम.	बड़वानी	धार
35.	श्रीमती संगीता राणावत	ए.एन.एम.	आगर-मालवा	शाजापुर
36.	श्रीमती पुष्पा तिवारी	ए.एन.एम.	होशंगाबाद	सीहोर
37.	श्रीमती जयंती अहिरवार	ए.एन.एम.	विदिशा	टीकमगढ़
38.	श्रीमती माया वंशकार	ए.एन.एम.	दमोह	टीकमगढ़
39.	श्रीमती हर्षलता दिवडे	ए.एन.एम.	बड़वानी	बैतूल


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/410


भोपाल, दिनांक 12.09.2016

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
7. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

निरंतर.....3

8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें, कि स्थानांतरित कर्मचारी संविदा/परिवीक्षा अवधि में कार्यरत, निलंबित अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। पद रिक्त न होने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा, इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस हो जावेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूचना भी 07 दिवस के अंदर संचालनालय को दी जावे। स्थानांतरित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को 07 दिवस में कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण उनकी वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
11. संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनके स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित होने के उपरांत स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता प्रभावी मानी जावेगी।
12. आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश


क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/389

भोपाल, दिनांक 11-04-2016

आदेश

श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी, उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, के जिला-सतना में अतिशेष होने के कारण श्री द्विवेदी को समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-अनूपपुर के अधीन उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के रिक्त पद पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित



संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/390

भोपाल, दिनांक 11-04-2016

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल।
5. अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सतना एवं अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-सतना एवं अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
9. श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी, उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-सतना की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 178

भोपाल, दिनांक 26.02.2016

आदेश

श्रीमती पार्वती भगत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), उप स्वास्थ्य केन्द्र आमोलपठा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करेरा, जिला-शिवपुरी का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया के अधीन किया जाता है।



संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 179


भोपाल, दिनांक 26.02.2016

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये म0प्र0 भोपाल।
4. अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।

कृ.पृ.उ.

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शिवपुरी, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी संविदा/परीविक्षा अवधि में अथवा निलंबित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जायें तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश नियमानुसार निरस्त किये जा सकें। स्थानांतरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह भी अवगत कराया जावें, कि जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारी की वरिष्ठता स्थानांतरित जिले में जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- दतिया मध्यप्रदेश।
8. जिला कोषालय अधिकारी, शिवपुरी एवं दतिया, मध्यप्रदेश।
9. श्रीमती पार्वती भगत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) उप स्वास्थ्य केन्द्र आमोलपठा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करेरा, जिला-शिवपुरी की ओर भेजकर लिखा जाता है, कि उनकी वरिष्ठता जिला-दतिया में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी।
10. आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/165

भोपाल, दिनांक 23-02-2016

आदेश

निम्नलिखित जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारियों को कॉलम नंबर 03 की वर्तमान पदस्थापना जिले से कॉलम नंबर 04 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
1.	सुश्री भारती पटेल	बड़वानी	खरगौन
2.	श्री आई.तिग्गा	होशंगाबाद	हरदा

संचालक (परिवार कल्याण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23-02-2016

पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2016/166

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
- निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
- स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल।
- अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर एवं भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बड़वानी, खरगौन, होशंगाबाद एवं हरदा मध्यप्रदेश।
- जिला कोषालय अधिकारी, जिला-बड़वानी, खरगौन, होशंगाबाद एवं हरदा मध्यप्रदेश।
- संबंधित जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी की ओर पालनार्थ।
- आदेश नस्ती।

संचालक (परिवार कल्याण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 161

भोपाल, दिनांक 19-02-2016

आदेश

श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), उप स्वास्थ्य केन्द्र पुरैल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर, जिला-सिंगरौली का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना के अधीन किया जाता है।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2016 / 162

भोपाल, दिनांक 19-02-2016

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल।
4. अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग सीवा एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी संविदा/परीविक्षा अवधि में अथवा निलंबित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जायें तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश नियमानुसार निरस्त किये जा सकें। स्थानांतरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह भी अवगत कराया जावें, कि जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारी की वरिष्ठता स्थानांतरित जिले में जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश।
8. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली एवं मुरैना, मध्यप्रदेश।
9. श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), उप स्वास्थ्य केन्द्र पुरैल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर, जिला-सिंगरौली की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनकी वरिष्ठता मुरैना जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी।
10. आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/3/पक/सेल-2/2016/

भोपाल,दिनांक

:: आदेश ::

श्रीमती प्रमिला चितोडिया, ए.एन.एम. उप स्वास्थ्य केन्द्र, करहैया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्नौर जिला ग्वालियर का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन के अधीन समान सामर्थ्य में स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

1

(डॉ० बी०एस०ओहरी)

संचालक,परिवार कल्याण


मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 15/01/2016

पृ०क्र० 3/पक/सेल-2/2013/49

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल।
3. अपर संचालक,एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जिला भोपाल/ग्वालियर म.प्र.
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें। स्थानांतरण आदेश की पृष्ठि विभागीय वेबसाईट पर अवश्य रूप से की जावें। उपरोक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी संविद/परीक्षा अवधि में अथवा निलंबित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सके। स्थानांतरित कर्मचारी को 07 दिवस में कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावें कि जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारी की वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेंगी। तत्पश्चात सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर/रायसेन, जिला म.प्र.
8. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय।
9. श्रीमती प्रमिला चितोडिया, ए.एन.एम. उप स्वास्थ्य केन्द्र, करहैया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्नौर जिला ग्वालियर की ओर भेजकर लेख किया जाता है कि उनकी वरिष्ठता नवीन जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेंगी।
10. आदेश नस्ती।



संचालक,परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 3 / पक / सेल-2 / 2016 /

भोपाल, दिनांक

:: आदेश ::

श्रीमती ममता अहिरवार, महिला स्वास्थ्य अभ्यागिता (एलएचव्ही) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूरसढा, जिला दतिया का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ के अधीन समान सामार्थ्य में स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित—

(डॉ० बी०एस०औहरी)

संचालक, परिवार कल्याण


मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/01/2016

पृ०क्र० 3 / पक / सेल-2 / 2013 / 47

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल।
3. अपर संचालक, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जिला सागर / ग्वालियर म.प्र.
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें। स्थानांतरण आदेश की पृष्टि विभागीय वैबसाईट पर अवश्य रूप से की जावे। उपरोक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी निलंबित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हे कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सके। तत्पश्चात सेवा पुरितका एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला दतिया / टीकमगढ, जिला म.प्र.
8. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक स्वास्थ्य सेवायें / संचालक चिकित्सा सेवायें / परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय।
9. श्रीमती ममता अहिरवार, एलएचव्ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूरसढा जिला दतिया की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।


संचालक, परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश